28

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 170/2022

दायर दिनांक–23.08.2022

1 बजरंग सिंह पुत्र गोकूलसिंह उर्फ गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।

– वादी

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र स्व0 छितरसिंह
2. अर्जुनसिंह पुत्र स्व0 छितरसिंह
3. मीना कंवर पुत्री स्व0 छितरसिंह पत्नी हिम्मतसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़।
4. सत्यनाराण बासोतीया पुत्र स्व0 द्वारका प्रसाद
5. पुष्कर पुत्र स्व0 द्वारकाप्रसाद
6. सीतादेवी पत्नी स्व0 बैजनाथ
7. अजय उर्फ अजय बासोतिया पुत्र स्व0 बैजनाथ
8. संजय उर्फ संजय बासोतिया पुत्र स्व0 बैजनाथ
9. पवन उर्फ पवन बासोतिया स्व0 बैजनाथ समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
10. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
11. राजेन्द्र बासोतिया पुत्र स्व0 पुष्कर बासोतिया
12. पंकज बासोतिया पुत्र स्व0 पुष्कर बासोतिया समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री दीपेन्द्र जाखड़
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 28.06.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि पुराने खाता संख्या 77 के पुराने खसरा नम्बर 345 रकबा 10 बीघा 1 व खसरा नम्बर 282 तादादी 1 बीघा 4 बिश्वा पुख्ता स्थित थी जिसका पहले वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का पूर्वज गलाबसिंह वल्द धनसिंह जाति राजपूत खातेदार काश्तकार था और वही इसी भूमि को अपने पुत्र तथा वादी के पिता गोकुलसिंह उर्फ गोपालसिंह के साथ मे काश्त करता था तथा उक्त भूमि गुलाबसिंह वल्द धनसिंह जाति राजपूत की खुद काश्त की भूमि थी। उक्त गुलाबसिंह वल्द धनसिंह का देहांत हो गया तथा उसके पुत्र गोकूलसिंह उर्फ गोपालसिंह का देहांत भी वादी की बाल्यकाल अवस्था मे ही हो गया था। उसके बाद मे इस भूमि को वादी औश्र वादी का भाई छितरसिंह अपनी माता चंद्रकंवर के साथ मे काश्त करने लगे और काबिज रहे। अब वादी की माता चंद्रकंवर व भाई छितरसिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है इसलिए वादी के भाई छितरसिंह के स्थान पर स्व0 छितरसिंह के वारीसान प्रतिवादीगण नंबर 1 लगायत 3 काश्त करने लगे और काबिज हो गये। इस प्रकार से भूमि पुराने खसरा नम्बर 345 रकबा 10 बीघा 1 बिश्वा क`अब वर्तमान मे वादी और प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 शामलाती रूप से खातेदार काश्तकार है और शामिल मे ही काश्त करते है तथा शामिल मे ही काबिज है जिससे अन्य किसी का कोई सीर सांझा या सरोकार नही है। भूमि पुराने ख0 न0 282 तादादी 1 बीघा 4 बिश्वाा पुख्ता का इस वाद मे कोई विवाद नही है। मौजूदा वाद मे केवलमात्र भूमि पुराने खसरा नम्बर 345 तादादी 10 बीघा 1 बिश्वा की बाबत ही विवाद है जिसको आगे वाद पत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है। द्वितीय भू प्रबंध कार्य के दौरान वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लागयत 3 की खातेदारी काश्तकारी की उपरोक्त विवादित भूमि पुराने खसरा नम्बर 345 के नये खसरा नम्बर 897 रकबा 2.54 है0 बनाये गये परंतु उपरोक्त विवादित भूमि के दौराने भू प्रबंध

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

कार्य भू प्रबंध अधिकारियों ने खसरा नम्बर बदलने व भूमि को बीघा से हैक्टेयर के रूप में दर्ज करने के साथ ही बिना किसी वैध कानूनी अधिकार के विवादित भूमि की खातेदारी में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 के पिता छितरसिंह के अलावा भूमि पुराने खसरा नम्बर 346 के खातेदार प्रतिवादीगण नं0 4 लगायत 9 के पूर्वज द्वारका प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद का नाम भी विवादित भूमि की खातेदारी मे दर्ज कर अलग अलग हिस्सेदारी दर्ज कर दी जो कि कतई गलत दर्ज कर दी जबकि विवादित भूमि पर शुरू से लेकर आज तक उक्त द्वारका प्रसाद पुत्र हनुमान या उसके किसी वारीसान का कोई कब्जा नही रहा है और ना हि इस प्रकार बने गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उक्त द्वारका प्रसाद पुत्र हनुमान का उक्त भूमि मे किसी प्रकार का अधिकार है। इसलिए द्वारका प्रसाद पुत्र हनुमान का नाम विवादित भूमि की खातेदारी से हटाया जाकर विवादित भूमि पुराने खसरा नम्बर 345 व नये खसरा नम्बर 897 रकबा 2.54 है0 संपूर्ण के 1/2 हिस्से की भूमि पर वादी खातेदार काश्तकार होना व काबिज होना तथा शेष 1/2 हिस्से की भूमि परर प्रतिवादीगण नं0 1 लागयत 3 खातेदार काश्तकार होना व काबिज होना घोषित करवाने का अधिकारी है इसलिए यह दावा बाबत घोषणार्थ माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण नम्बर 4 लगायत 9 डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे कि राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 897 रकबा 2.54 है के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी तथा शेष 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 9 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

प्रतिवादीगण नं0 4 लगायत 9 को इस जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उक्त भूमि पर जबरन कब्जा नही करें तथा विवादित भूमि का हस्तांतरण बाबत किसी प्रकार का दस्तावेज निष्पादित व तस्दीक नही करवावें तथा वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने परं तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु वादी बजरंग सिंह पुत्र गोकुल सिंह का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 लगायत 05 नकल मिलान क्षैत्रफल व नकल जमाबंदीयां आदि दस्तावेज पेश किये।

शहादत पेश होने बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तातवेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिसका गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 04 लगायत 09 के पूर्वज द्वारका प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद के खातेदारी दर्ज कर दी गई। फलस्वरूप राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 897 रकबा 2.54 है0 भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी तथा शेष 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को घोषित किया जाता है तथा गलत रूप से दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 9 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। प्रतिवादीगण नं0 4 लगायत 9 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाता है कि गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उक्त भूमि पर जबरन कब्जा नही करें तथा विवादित भूमि का हस्तांतरण बाबत किसी प्रकार का दस्तावेज निष्पादित नही करें तथा वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 170/2022

(बजरंग सिंह बनाम हरीसिंह आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **हवाई सिंह यादव** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.06.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 897 रकबा 2.54 है0 भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी तथा शेष 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को घोषित किया जाता है तथा गलत रूप से दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 9 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। प्रतिवादीगण नं0 4 लगायत 9 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाता है कि गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उक्त भूमि पर जबरन कब्जा नही करें तथा विवादित भूमि का हस्तांतरण बाबत किसी प्रकार का दस्तावेज निष्पादित नही करें तथा वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.06.2024 को जारी की गई।

28/06/24
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00